राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस.)

वाद सं0 : 36 सन 2018

1. बेगराज 2 रूपबंसत पि0 पृथ्वीराम जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पृथ्वीराम पुत्र श्योचन्द जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री माडुराम सहारण अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश कर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 154 / 142 की कुल 4.1580हैक भूमि जो पूर्व में वादी के दादा श्योचन्द के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत – 2018 कैम्प कोर्ट में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 स्वय उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि विरास्तन से उसके नाम से दर्ज हुई जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है। जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादीगण के दादा श्योचन्द के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा होता है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादीगण काबिल डिक्री है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 154 / 142 की कुल 4.1580हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Sd/ Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–जसाना

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– परलीका

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

वाद सं0 : 36 सन 2018

1. बेगराज 2 रूपबंसत पि0 पृथ्वीराम जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 पृथ्वीराम पुत्र श्योचन्द जाति मेधवाल निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

2. तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 43 सन 2018 निर्णय दिनांक– 18.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 154/142 की कुल 4.1580हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

Szaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट– जसाना